न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्याः—14/2015 (2015/00274)75/भिनाय

1. **हाथी राम पुत्र रामलाल**
2. **शिवराज पुत्र रामलाल जाति गुर्जर निवासी कम्पू गोरधरपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर।**

अपीलांटस

बनाम

1. **जीवराज पुत्र जगदीश**
2. **श्रीमती लाली पत्नी जीवराज**
3. **गोपाल पुत्र श्री छीतर**
4. **रामधनी पत्नि गोपाल समस्त जाति गुर्जर निवासी पाड़लिया तहसील भिनाय जिला अजमेर।**
5. **आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष।**
6. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भिनाय जिला अजमेर।**

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू—राजस्व अधिनियम 1956, निर्णय दिनांक 31.12.2014, प्रकरण संख्या 21/2013 विरूद्ध अपर जिला कलक्टर, अजमेर ।

उपस्थितः—

7. श्री अजीत सिंह राठौड़ एड़वोकेट अपीलांटस की ओर से।
8. श्री वी.पी.सिंह राजावत एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 की ओर से ।
9. श्री धर्मवीर चौधरी (राजकीय अभिभाषक) रेस्पोडेन्ट संख्या 05,06 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—26.11.2018

01. अपीलांट ने यह अपील अपर जिला कलक्टर, अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 21/2013 में पारित निर्णय दिनांक 31.12.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 07.12.2010 को ग्राम पाड़लिया में आयोजित राजस्व शिविर में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर गोपाल पुत्र छीतर, श्रीमती रामधनी पत्नी गोपाल जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम पाड़लिया तहसील भिनाय जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम पाड़लिया स्थित आराजी खसरा नम्बर 927 रकबा 0.80 हैक्टर इसी प्रकार जीवराज पुत्र जगदीश व लाली पत्नी जीवराज जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाड़लिया तहसील भिनाय के पक्ष में ग्राम पाड़लिया स्थित आराजी खसरा नम्बर 927 रकबा 1.00 हैक्टर भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में किए गए उक्त विवादित भूमि के

आवंटन को विभिन्न कारणें से विरूद्ध बताते हुए आवंटन निरस्त करने हेतु अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के तहत न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अपर जिला कलक्टर, अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 31.12.2014 द्वारा खारिज कर दिया। अपीलांटस ने अपर जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 31.12.2014 से असंतुष्ट होकर यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट संख्या 1से 04 से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 05, 06 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने मिमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में जाहिर किया कि खसरा नमबर 927 सार्वजनिक उपयोग की भूमि है उक्त भूमि में बजरंग बली का मंदिर तथा उक्त मंदिर के दक्षिणी पश्चिम की ओर रामदेव जी महाराज का थान बना हुआ है। ग्राम गोरधनपुरा एवं पाड़लिया के सभी ग्रामवासियों के आराध्य देव हैं एवं सभी ग्रामवासी दर्शन करने हेतु आते है।। खसरा नम्बर 927 पर रेस्पोडेन्टस ने कभी भी कृषि कार्य नहीं किया हैं वर्तमान में भी भूमि कृषि योग्य नही हैं फिर भी आवंटन सलाहकार समिति ने ग्रामवासियों की जानकारी के बिना रेस्पोडेन्टस को गैरकानूनी रूप से लाभान्वित करने के इरादे से गुप्त रूप से आवंटन आदेश पारित कर दिया। उक्त भूमि पर बालाजी मंदिर के उत्तर दिशा में दमन पुत्र सुखदेव खटीक तथा पूर्व दिशा मे श्रीमती शांति देवी पत्नि रामदेव के इंदिरा आवास योजना के तहत् पुराने मकान मुर्तिब हैं तथा शेष आराजीयात पर 15 से अधिक ग्रामवासियान के बाड़े बने हुए हैं जो लगभग 50–60 वर्ष पूर्व के बने हुए हैं। आवंटन के पश्चात आज दिनांक तक ना तो आवंटियों को मौके पर कब्जा सौंपा जा सका हैं और न ही उनका कब्जा काश्त हैं। खसरा नम्बर 927 की भूमि पर भी तालाब की पाल अवस्थित हैं फिर भी उक्त तालाब की पाल को भी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा रेस्पोडेन्टस को आवंटन कर दी गई। उक्त आवंटन आदेश निरस्त योग्य हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 31.12.2014 एवं आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनाक 07.12.2010 निरस्त फरमाया जावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में डी.एन.जे.(राज.) 1998 पे5 535 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 04 ने दौराने जवाब अपील में निवेदन किया कि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस के पक्ष में आवंटन नियमों के परिपेक्ष्य में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ही आवंटन किया गया हैं। आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण होने पर नियमानुसार प्रार्थना पत्र आंमत्रित कर जॉच पश्चात भूमि का आवंटन किया गया। अभिभाषक अपीलाट का यह कथन भी गलत है कि अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस के पक्ष में आवंटित भूमि सार्वजनिक रासते की भूमि हैं जबकि रेकार्ड में उक्त भूमि की किस्म बाराजी–3 अंकित हुई हैं। मौके पर रिक्त पड़ी भूमि पर आने जाने से भूमि की किस्म रास्ते के रूप में नहीं मानी जा सकती हैं। धारा 16 राजस्थान

काश्ताकरी अधिनियम में यह परिभाषित है कि यथा नदी,नाला, झील, तालाब, चारागाह अथवा अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं हैं। उक्त भूमि के पास ना तो तालाब है और ना ही कोई शमसान हैं। नियम 14 (4) के अन्तर्गत के केवल ऐसे आवंटन को निरस्त करवाया जा सकता है जो गलत रूप से कोई तथ्यों को छिपाकर करवाया गया हो। दिनांक 02.03. 2014 को पटवारी हल्का द्वारा तेयार मौका पर्चा किसी भी न्यायालय के आदेश से नहीं बनवायी गई हैं ऐसी स्थिति में उक्त मौके पर्चे की कोई वैद्यानिकता नही हैं। अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने बहस में आगे बताया कि अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कनयम 30 रेवेन्यू कोर्टस मैन्यूअल सलंग्न कर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने हेतु छूट दिये जाने का निवेदन किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न्यायालय हाजा के समक्ष आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की है, इससे प्रतीत होता हैं कि अपीलांटस केवल रेस्पोडेन्टस को हैरान, परेशान करने के उद्देश्य से ही यह अपील प्रस्तुत की है। कुछ अपीलांट ने हमारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा हैं इसलिए उनके द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में आवंटन नियम विरूद्ध होने या फर्जी होने बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। अभिभाषक अपीलांटस के द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में आर.आर.डी. 2002 पेज 149, आर.आर.डी. 2002 पेज 544, आर.बी. जे. 2008 पेज 436, आर.आर.टी. 2001 (1) पेज 195 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

6. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना गया कि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में आवंटन नियमों के परिपेक्ष्य में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात किया गया हैं। आवंटन से पूर्व सार्वजनिक उद्घघोषण जारी की गई है। आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण होने पर निमानुसार प्रार्थना पत्र आंमत्रित कर जॉच करने पश्चात भूमि का आवंटन किया गया तथा यह भी माना कि अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस को आवंटित भूमि राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में परिभाषित भूमि नहीं हैं। हमारे विचार से नियम 14 के उपनियम (4) के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि आवंटन निरस्त करने के लिए केवल तीन आधार अंकित किये गये हैं, प्रथम आधार यह है कि–आवंटी ने आवंटन छल अथवा मिथ्या व्यपदेसन (misrepresentation) से प्राप्त किया हों, दूसरा आधार यह है कि– आवंटन नियम विरूद्ध किया गया हों एवं तीसरा आधार यह है कि–आवंटी ने आवंटन शर्तो की अवहेलना की हों। विपक्षीगण ने जो आवेदन पत्र दिया उसमें ऐसा प्रकट नहीं किया कि छल अथवा व्यपदेसन (misrepresentation) से आवंटन कराया गया हों तथा किसी भी आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की अवहेलना की जाती है तो उसे इस आशय का नोटिस देना चाहिए और किस–किस आवंटी ने किस प्रकार आवंटन शर्तो की अवहेलना की, ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नही हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज.भू–राजस्व अधिनियम(कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 कों विधि सम्मत आदेश पारित करते हुए

खारिज किया हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत हैं और अपील निरस्त योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 31.12.2014 यथावत् रखा जाता हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

08. आदेश आज दिनाक 26.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर